राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 2648/2015

1. श्रीमती ममता पत्नी श्री गिर्राज प्रसाद, उम्र लगभग 33 वर्ष,

2. गिर्राज प्रसाद पुत्र कालूराम, उम्र लगभग 35 वर्ष, सभी निवासी ग्राम-मेनपुरा, तहसील व जिला सवाई माधोपुर। (राजस्थान)

----दावेदार-अपीलार्थीगण

बनाम

1. महेंद्र सिंह पुत्र लोहड़ीराम, निवासी मुकंदपुरा, तहसील-लालसोट, जिला दौसा (राजस्थान)

   (वाहन बस क्रमांक आरजे-29-पीए-1325 का चालक)

2. लाल बहादुर पुत्र कालूराम मीना, निवासी धोलावास, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा (राजस्थान)।

   (वाहन बस क्रमांक आरजे-29-पीए-1325 का स्वामी)।

3. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय - दिगंबर जैन धर्मशाला बिल्डिंग, एम.आई. रोड, जयपुर (राजस्थान)।

   (वाहन बस क्रमांक आरजे-29-पीए-1325 का बीमाकर्ता)

   (बीमा कवर नोट क्रमांक 14030031120055 और वैधता 27.10.2012 से 26.10.2013 तक)

----गैर-दावेदार/प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी (गण) की ओर से : श्री दीपक खंडेलवाल

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : वीसी के माध्यम से श्री ओ.पी.गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार

निर्णय सुरक्षित करने की तारीख : 05/02/2022

निर्णय उच्चारित करने की तारीख : 23/02/2022

<u>रिपोर्टबल</u>

1. मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, सवाई माधोपुर द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण संख्या 85/2013 में तय की गई मुआवजे की मात्रा से दावेदार संतुष्ट नहीं हैं। 30.04.2015 के आक्षेपित निर्णय के अनुसार, विद्वान न्यायाधिकरण ने **मालती (श्रीमती) और अन्य वी. एम.के. वासु और अन्य** 2008 (1) डब्लूएलसी 589 में प्रकाशित मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए आवेदन की तारीख से 27,10,000/- रुपये के दावे के विरुद्ध 01,80,000/- रुपयेकी 6% ब्याज के साथ एकमुश्त राशि का निर्णय सुनाया।

2. दावेदार-अपीलार्थीगण का मामला और दावा यह है कि उनका लगभग आठ वर्ष का बेटा लोकेश 21.04.2013 को अपने घर के सामने खेल रहा था। एक तेज़ और लापरवाही भरी बस क्रमांक आरजे29-पीए-1325 ने उसे कुचल दिया जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। उपरोक्त दुर्घटना के संबंध में पुलिस थाना सूरवाल, सवाई माधोपुर में प्रकरण संख्या 92/2013 दर्ज किया गया तथा अनुसंधान उपरांत पुलिस द्वारा अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। आपत्तिजनक बस का प्रत्यर्थी क्रमांक 3-यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमा कराया गया था। उपरोक्त तथ्य रिकॉर्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य और दुर्घटना के चश्मदीद गवाह की गवाही से सिद्ध और स्थापित होते हैं और उन्हें इस अपील में चुनौती नहीं दी गई है।

3. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक खंडेलवाल का तर्क है कि न्यायाधिकरण ने एकमुश्त राशि देने और गुणक पद्धति अपनाकर 'उचित मुआवजे' की गणना नहीं करने में गलती की है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि **किशन गोपाल और अन्य बनाम लाल और अन्य (2014) 1 एससीसी 244** में प्रकाशित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना कि बिना आय वाले बच्चे की मृत्यु के मामले में भी, अनुमानित आय को गुणक के रूप में लिया जाना चाहिए और इसे उचित गुणक के साथ गुणा किया जाना चाहिए।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने गलत तरीके से प्यार और स्नेह की हानि, भविष्य की संभावना के साथ-साथ अंतिम संस्कार के खर्च आदि के लिए अलग से कोई राशि नहीं दी।

4.इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ओ.पी. गुप्ता का तर्क है कि इस न्यायालय द्वारा **मालती** (सुप्रा.) के मामले में पारित निर्णय पर विचार करते हुए एकमुश्त राशि प्रदान की गई है और उक्त निर्णय बाध्यकारी होगा। यह बेंच भी.

5.**किशन गोपाल** के मामले (सुप्रा.) में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163 क की दूसरी अनुसूची में, उन लोगों को मुआवजे के लिए "काल्पनिक आय" का प्रावधान है। दुर्घटना से पहले कोई आय नहीं. अनुसूची में, अनुमानित आय 15,000/- रुपये प्रतिवर्ष थी। **लता वाधवा बनाम बिहार राज्य** (2001) 8 एससीसी 197 में प्रकाशित, के मामले में, पैसे के घटते मूल्य पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिवर्ष 24,000/- रुपये की बढ़ी हुई अनुमानित आय लागू की।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **किशन गोपाल** के मामले के पैरा 38 में सिर्फ काल्पनिक आय को अपनाने पर विचार करते हुए इस प्रकार कहा:-

> "38. हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, लता वाधवा के मामले में निर्धारित उपरोक्त विधिक सिद्धांत इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू होता है कि मृतक 10 वर्ष का था, जो अपीलार्थीगण की सहायता कर रहा था। उनका कृषि व्यवसाय जो एक निर्विवाद तथ्य है। हमने इस तथ्य पर भी विचार किया है कि वर्ष 1994 से 15,000/- रुपये के मूल्य में भारी गिरावट आई है, जब दुर्घटना की तारीख से पहले गैर-कमाने वाले सदस्य की अनुमानित आय रुपये पर तय की गई थी। इसके अलावा, मृत लड़का, अगर वह जीवित होता तो निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करके अपीलार्थीगण के परिवार में महत्वपूर्ण योगदान देता।

6.इस प्रकार, एक महत्वपूर्ण विचार यह था कि पिछले कुछ दशकों में रुपये के मूल्य में भारी गिरावट आई है। **किशन गोपाल** के मामले में, दुर्घटना 1992 में हुई थी और किशन गोपाल के मामले का निर्णय 26.08.2013 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया था और प्रतिवर्ष 30,000/- रुपये के गुणक की अनुमति दी गई थी।

7.**कुर्वन अंसारी उर्फ कुर्वन अली एवं अन्य बनाम श्याम किशोर मुर्मू एवं अन्य** 2022 (1) आरएआर 17 (एससी) में प्रकाशित, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **किशन गोपाल** के मामले पर भरोसा किया और लगभग सात वर्ष की उम्र के बच्चे की मृत्यु के लिए 'उचित मुआवजा' तय करने के लिए गुणक विधि लागू की।

8.**किशन गोपाल** के निर्णय को लगभग नौ वर्ष बीत चुके हैं और यह एक तथ्य है कि इस अवधि में पैसे का मूल्य कम हो गया है, अतः मेरे विचार में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित गुणनफल 45,000/- रुपये प्रतिवर्ष होगा। मौजूदा सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य की पृष्ठभूमि में यह राशि अत्यधिक नहीं होगी।

9.**सरला वर्मा** के मामले में निर्धारित विधिक सिद्धांतों पर आगे विचार करना, जिसे **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य** (2017) 16 एससीसी 680 में बताया गया है, में अनुमोदित किया गया था। उचित गुणक 15 का होगा। इस प्रकार, गणना के अनुसार निर्भरता का नुकसान 06,75,000/- रुपये है। उपरोक्त के अलावा, दोनों दावेदार (दुर्घटना के शिकार व्यक्ति के माता-पिता) पारिवारिक सहायता के नुकसान के लिए 40,000/- रुपये और अंतिम संस्कार व्यय के पारंपरिक मद के तहत 15,000/- रुपये के अलग से पात्र हैं।

10.इस प्रकार, गणना के अनुसार कुल देय मुआवजा रुपये 7,85,000/- है। यह राशि न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार आवेदन की तिथि से दो माह के भीतर 6% ब्याज के साथ पहले से भुगतान की गई राशि घटाकर देय होगी।

उपरोक्त समय के भीतर भुगतान न करने पर मृत्यु की तारीख से वसूली तक 12% ब्याज देय होगा। न्यायाधिकरण के अन्य निष्कर्षों और निर्देशों की पुष्टि की जाती है।

उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

(बीरेंद्र कुमार), न्यायमूर्ति

Hemat

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।
अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।